

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 02 जुलाई 2018

विषय :- कानपुर में एन०एच०-91 किमी० 356 से 414 तक (मित्रसेनपुर से कानपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 93.975 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4800 वृक्षों व 17 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

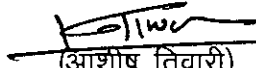
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/24/2018/एफसी/83 दिनांक 13.06.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-5381/कानपुर/26890/2017 दिनांक 26.06.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 26.06.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित सूचनाएं/अभिलेख संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-2408(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव।